राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीताराम बनाम मोहनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	920/2025	
18/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रविकान्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष रेस्पो. बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/11/2025 को पेश हो।	
20/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के कब्जे में कोई किसी प्रकार की हस्तक्षेप नही करे। विवादग्रस्त भूमि के अपीलार्थी सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि कोन पक्षकार कहा रह रहा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही अपीलाधीन आदेश अपूर्ण रूप से पारित कर दिया गया, जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद की समाप्ति नही हो पा रही है एवं निरन्तर पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/05/2025 में संशोधन करते हुये एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखल नही किये जाने के आदेश पारित करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/05/2025 पारित किया गया है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/05/2025 की आड़ में रेस्पो. को विवादग्रस्त भूमि से पाबन्द करवाना चाहता है। दोनों पक्ष विवादित भूमि के सहखातेदार है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दायरी के समय की मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण नही करने के आदेश सही रूप से पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/05/2025 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सीताराम बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस तर्क/आधार जाहिर नहीं किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/05/2025 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर